एस0एन0डी0 2015-16

वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-15/2016263/एक-5-2016-35/2016

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2016**

विषयः-जनपद अमेठी कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराये हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3064/12(भवन)/विविध/2012 अमेठी, दिनांक 22 फरवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अमेठी कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य हेतु मानकीकृत लागत रू0 1040.94 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त कार्य कार्यदायी संस्था **पैकफेड** से कराया जायेगा। राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था **पैकफेड** को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) निर्माण कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह की जायेगी तथा प्रत्येक माह गुणवत्ता की सत्यापन रिपोर्ट सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राजस्व परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाय कि अनुमोदित आगणन/स्वीकृत धनराशि से अधिक का कार्य कदापि न कराया जाय और न ही स्वीकृत धनराशि का डाइवर्जन किसी दूसरे मद में किया जाय अन्यथा इनका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) प्रायोजना की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य कार्यक्रम/योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है।

(4) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्ध ढ़ंग से कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(7) यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय कि कार्यो की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप उच्चकोटि की हो तथा निर्माण कार्य समयान्तर्गत सम्पादित हों तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्य की मानीटरिंग भी सुनिश्चित की जाय।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(10) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-02-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/ विस्तार/पुर्ननिर्माण/सुदृढ़ीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5-291/दस/2016, दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है

भवदीय,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

<u>संख्या-263(1)/एक-5-2016-35/2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, अमेठी।
6- प्रबंधक निदेशक, पैकफेड/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6/गार्ड पत्रावली/सहकारिता अनुभाग-3

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in